# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक —तीन/2015 पुनरावलोकन

विवेक पुत्र बादलसिंह

निवासी ग्राम— मझारी, तहसील—टप्पा, बदरवास

तहसील— कोलारस जिला— शिवपुरी मध्यप्रदेश —— आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन —— अनावेदक

**डॉ मधु खरे सदस्य राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 2618—तीन/2015 में पारित आदेश दिनांक 7—11—2015 के पुनरावलोकन हेतु आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा—51 मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959.**

माननीय न्यायालय,

आवेदक की और से पुनरावलोकन आवेदन पत्र निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर निम्नानुसार प्रस्तुत हैः

1. यह कि माननीय न्यायालय के आदेश में ऐसी गंभीर विधिक त्रुटि हुई है जो कि प्रकरण आदेश को पडने मात्र से स्पष्ट होकर आदेश के पुनरावलोकन का आधार निर्मित करती है.

2. यह कि,अपर कलेक्टर शिवपुरी ने संहिता की धारा —50 के अन्तर्गत स्वयमेव पुनरीक्षण के विचाराधिकार का प्रयोग करते हूए आदेश पारित किया था. जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा संहिता की धारा—50 के अन्तर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन को इस आधार पर निरस्त किया गया है कि अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश मूल आदेश होने से धारा 44 के अन्तर्गत अपील योग्य आदेश है.

3. यह कि, संहिता की धारा—44 के अन्तर्गत मूल आदेश के विरूद्ध अपील की जा सकती है यह विवादित नही है परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी ने पुनरीक्षण/स्वयमेवव पुनरीक्षण के विचाराधिकार का प्रयोग करते हूए आदेश पारित किया हो तब ऐसा आदेश मूल आदेश की परिभाषा में नही आता है.

4. यह कि, राजस्व मण्डल द्वारा 1972 रेवेन्यू निर्णय 454 नाथूराम विरूद्व शासन एवं 1983 रेवेन्यू निर्णय 80 लुणचन्द विरूद्व म.प्र. राज्य में स्पष्टतः अवधारित किया गया है कि स्वयंमेव पुनरीक्षण में पारित आदेश मूल आदेश नहीं है ऐसे आदेश के विरूद्व संहिता की धारा—44 के

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक......38–तीन / 2016 पुनरावलोकन ........................ ..............जिला शिवपुरी

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 6/2/16 | प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह पुनरावलोकन आवेदन न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 2618–तीन/2015 में पारित आदेश दिनांक 7–11–15 पर से प्रस्तुत हुआ है।<br>2/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। आदेश दि0 7–11–17 से आवेदक व्दारा प्रस्तुत निगरानी इस आधार पर निरस्त कर दी गई कि अपर कलेक्टर शिवपुरी ने प्रकरण क्रमांक 127/2013–14 स्व.निगरानी में संहिता की धारा 165 के अंतर्गत आदेश दिनांक 30–5–14 पारित किया है जिसके विरूद्ध धारा 44 के अंतर्गत अपील प्रस्तुत होगी। अपर कलेक्टर शिवपुरी व्दारा आदेश दिनांक 30–5–14 स्व.निगरानी में पारित किया गया है। निगरानी में पारित आदेश के विरूद्ध संहिता में दी गई व्यवस्था अनुसार निगरानी प्रस्तुत होगी और प्रकरण क्रमांक 2618–तीन/2015 में आदेश दिनांक 7 नवम्बर 2015 पारित करते यह प्रत्यक्षदर्शी भूल हुई है। पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति प्रकरण क्रमांक 2618– तीन/ 2015 में रखी जावे तद्नुसार प्रकरण पुर्नजीवित किया जाता है।<br><br>सदस्य | |